न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2022

उनवान

कानाराम पुत्र भोलाराम जाति यादव निवासी मनेाहरपुर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

छीतर मल पुत्र रूडमल जाति ब्राह्मण, निवासी बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान व्यवस्थापक/पुजारी मन्दिर श्री भोमिया जी महाराज बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
राजस्थान सरकार (भु–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थित–

1. **सुरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **पैराकार सरकार अप्रार्थी सं0–1 व 2**

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा–251 (क) की उपधारा–(1) संशोधन अधिनियम–2010

निर्णय दिनांक 24/7/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम–1955 की धारा–251 क की उपधारा (1) के तहत पेश किया कि हमारी जोत में पहूॅच के प्रयोजन के लिए खातेदार अप्रार्थी सं0–1 मन्दिर श्री भोमिया जी महाराज के नाम से दर्ज खसरा नं0–309/2.10, 308/1.31 किता–2 रकबा 3.41 है0 वाके ग्राम बिशनगढ, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जोत–शाहपुरा उपखण्ड व ग्राम बिशनगढ तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान के त्रिवेणी–शाहपुरा मुख्य सडक पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0–308/3924/0.06, 290/0.90, 307/0.57 अवस्थित है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0–309/3924/0.06 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी के खसरा नं0–309/2.10 है0 की उत्तररी सीमा के सहारे सहारे खसरा नं0–309/1.31 है0 अप्रार्थी की खातेदारी में उत्तरी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थी की जोत खसरा नं0–290, 307 तक प्रार्थी की जोत खसरा नं0–307 की पूर्वी सीमा तक 9 मीटर चौडाई व लम्बाइ अनुमानित 60 मीटर जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है में रास्ता प्रस्तावित है तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते की अति आवश्यकता है तथा उसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खसरा नं0–309 व 308 में अनुमानित लम्बाई 60 मीटर व 9 मीटर चौडाई में पूर्व पश्चिम खोलने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाकर भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शा में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार–शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी सं0–1 स्वंय उपस्थित आया। अप्रार्थीगण की ओर से कोइ जवाब प्रतिरक्षा पेश नहीं की गई।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व मौका रिपोर्ट उपतहसीलदार को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहसीलदार–शाहपुरा ने मौका रिपोर्ट पेश की है जो सही है तथा उक्त रिपोर्ट के अनुसार सरल व कम दूरी का रास्ता अंकित किया है तथा प्रार्थी की जोत तक जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा मन्दिर भूमि में जो रास्ता दिया जावे उसके एवज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से मन्दिर के नाम भूमि दर्ज कर दी जावे अर्थात भूमि के बदले भूमि देकर रास्ता कायम किया जावे तथा मन्दिर भूमि में जाने हेतु भी रास्ता उपलब्ध हो जावेगा निवेदन किया तथा रास्ता हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्षो की बहस पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज व उपतहसीलदार मनोहरपुर से प्राप्त रिपोर्ट की गहनता से परीक्षण करने पर पाया कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यक है तथा प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार हे तथा मन्दिर भूमि का रकबा कम नहीं किया जा सकता है जबकि प्रार्थी द्वारा रास्ते की एवज में भूमि देने पर मन्दिर का रकबा पूर्व की भांति यथावत रहता है तथा प्रार्थी को भी रास्ते की आवश्यकता पूरी होती है तथा मन्दिर भूमि मे जाने हेतु भी रास्ता कायम रहता है एवं मन्दिर भूमि को कोई नुकसान होने की कतई सम्भावना नहीं है जबकि उपतहसीलदार मनोहरपुर ने अपनी रिपोर्ट में मानवीय भूल के कारण सहवन से खसरा नं0–308 में 0.05 है0 व 309 में 0.02 है0 दर्ज कर दिया है जबकि राजस्व नक्शा का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नं0–308 में 0.02 है0 व 309 में 0.05 हे0 सही व दुरूरूत है जिसे राजस्व नक्शा अनुसार नाप की जावे। अतः हम उपतहसीलदार महोदय की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थानर अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा–251 क की उपधारा (1) संशोधन अधिनियम–2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं0–308 रकबा 3.31 है0 मे से 0.02 हैक्टर, खसरा नं0–309 रकबा 2.10 मे से 0.05 है0 किता–2 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि उपतहसीलदार मनोहरपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट संलग्न नजरी नक्शे में दर्शि लाल स्याही से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि प्रार्थी के खसरा नं0–307/0.57 है0 मे से रास्ते की एवज में भूमि 0.07 है0 मन्दिर भोमियाजी महाराज के खसरा नं0–308 के लगते खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवाय चक गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपतहसीलदार मनोहरपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का जुज रहेगा। तहसीलदार–शाहपुरा को निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (दूदू) जिला जयपुर